

कार्यालय, निदेशक-माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के पत्रांक-प.30)सामा.न्या.एवं अधि.2022/702 दिनांक-18.08.22 के अनुसार माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की अध्यक्षता में दिनांक-17.08.22 को हुई बैठक के सुझाव/निर्देशों के क्रम में राज्य के समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों को विभाग से नवीन मान्यता/क्रमोन्नति प्राप्त करने हेतु आवेदन करते समय आवश्यक वांछित दस्तावेजों के साथ किसी भी व्यक्ति से जातिगत भेदभाव नहीं करने का शपथ-पत्र भी प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।



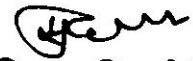
गौरव अग्रवाल
(आई.ए.एस.)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर।

दिनांक:- 22/8/22

क्रमांक:-शिविरा-मा/पीएसपी/60572/8/सअनुजाआ/सामाजिक समानता/2022
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्यमंत्री महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग।
4. अति० मुख्य सचिव (समन्वय) एवं मुख्य आवासीय आयुक्त, कार्यालय आवासीय आयुक्त बीकानेर हाउस शाहजहाँ रोड नई दिल्ली-110011।
5. संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, नई दिल्ली।
6. अति० मुख्य सचिव शिक्षा/गृह विभाग, प्रमुख शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।
7. शासन सचिव, स्कूल शिक्षा (ग्रुप-5) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
8. प्रमुख सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
10. जिला मजिस्ट्रेट, जालौर, राजस्थान।
11. पुलिस अधीक्षक, जालौर, राजस्थान।
12. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
13. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा।
14. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा/प्रारम्भिक शिक्षा
15. समस्त गैर-सरकारी विद्यालयों को उक्त आदेशों की अक्षरशः पालनार्थ पाबन्द किया जाता है।
16. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।



जिला शिक्षा अधिकारी (पीएसपी)
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय,
राजस्थान, बीकानेर